कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बीजापुर (छ.ग.)

Phone no. 07853220264 **e-mail:- cmhobijapur264@gmail.com**

क्रमांक/ /मु.चि.अ./**DMF**/भर्ती/**2026** बीजापुर, दिनांक / /**2026**

//संविदा भर्ती संक्षिप्त विज्ञप्ति//
(वर्चुवल इन्टरव्यू)

जिला खनिज संस्थान न्यास निधी (डीएमएफ) मद से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत् संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालन हेतु 03 चिकित्सा विशेषज्ञों के पद पर पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों के लिए संक्षिप्त विज्ञप्ति (वर्चुवल इन्टरव्यू) के माध्यम से नीचे दर्शित सारणी अनुसार पदों पर भर्ती किया जाना है।

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय राशि (प्रतिमाह)	शैक्षणिक योग्यता
1	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	01	**2,20,000/- Rs** (Negotiable)	MBBS & MS/DNB in Gyenocology / DGO/NBE in Gyenocology & CG Medical Council Registration
2	शिशुरोग विशेषज्ञ	01	**2,20,000/- Rs** (Negotiable)	MBBS & MD/DNB/ DCH/NBE In Paediatrics & CG Medical Council Registration
3	जनरल सर्जन	01	**2,20,000/- Rs** (Negotiable)	MBBS & MS/DNB in Surgery & CG Medical Council Registration

1- आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि :– **04** मई **2026**
2- वर्चुवल इंटरव्यू तिथि :– **13** मई **2026** दिन बुधवार प्रातः **11:00** बजे से

(उपरोक्त समस्त पदों की भर्ती पूर्ण होने तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः **11:00** बजे वर्चुवल इंटरव्यू जारी रहेगा)

3- अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपनी योग्यता संबंधी विवरण अपलोड कर सकेंगेः–

https://bijapur.gov.in/en/notice_category/recruitment/

(नोटः– आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय एवं वर्चुवल लिंक आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा, अभ्यर्थी आवेदन भरते समय व्हाट्सअप मोबाईल नम्बर देवें)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – बीजापुर (छ.ग.)

<u>आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्ते</u> :–

1- यह पद पूर्णतः अस्थायी होगा।
2- उक्त पद हेतु मानदेय जिला खनिज न्यास निधि मद अन्तर्गत प्रावधानित वेतन एकमुश्त देय होगा।
3- भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर के वेबसाईट https://bijapur.gov.in/तथा कार्यालय के सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
4- परिस्थिति वश आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्वि अथवा विज्ञापन का पूर्णतः/ आंशिक निरस्त किया जा सकता है।
5- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
6- अभ्यर्थिओं को चयन पश्चात उपस्थिति के बाद तीन माह के अन्दर छत्तीसगढ मेडिकल कांउसिल पंजीयन करना अनिवार्य है।
7- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को देकर छत्तीसगढ़ (शासकीय एवं अर्ध स्थाई) नियम 60 के नियम 12 के अन्तर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है। तथा एक माह सूचना दिये बगैर यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हों तो एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधी का वेतन जो एक माह नोटिस की अवधि से कम नही हो देना होगा।
8- सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता व अन्य राशि नही दी जावेगी।
9- किसी भी शासकीय/अर्द्वशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये ब्लेक लिस्ट अथवा कार्य क्षमता पूर्वक नही करने के कारण सेवा वृद्वि नही किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।
10- शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपना नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन में सलंग्न करना अनिवार्य है।
11- कार्य असंतोषजनक व कदाचार मे लिप्त पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
12- नियुक्ति के पश्चात् राज्य शासन के नियमित पदों पर कोई दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
13- सेवा अवधि के दौरान सेवा अवधि की समाप्ति पश्चात् किसी प्रकार से दावा आपत्ति कि पात्रता नहीं होगी।
14- कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थान पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नही होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
15- इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के स्थानांतरण के हकदार नही होगें।
16- **विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्नातकोत्तर के डिग्री होने पर अधिकतम 2.40 लाख तक मानदेय प्रदाय किया जा सकता है तथा डिप्लोमा धारी होने पर 2.20 लाख अधिकतम मानदेय प्रदाय किया जायेगा।**
17- नेगोशिएबल मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि/सी.आर.एम.सी की राशि देय नही होगी।
18- शासकीय एवं अर्द्वशासकीय संस्थान में संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव को ही मान्य किया जायेगा।
19- चयन समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
20- उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन कलेक्टर महोदय जिला बीजापुर द्वारा अनुमोदन उपरान्त गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किया जावेगा।
21- अभ्यार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – बीजापुर (छ.ग.)

File No. GENCOR/10358/2026-HEALTH BJP GEN SEC (Computer No. 202248)
Generated from eOffice by SURAJ KUMAR UPPAL, CO(BJP)-19, COMPUTER OPERATOR(BJP), DISTRICT BIJAPUR on 05/05/2026 01:59 pm